

[20]

माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 2/2017—प्रतिकर उपकर, दिनांक 01.07.2017—माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति), अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:—

नियम 1 : संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।
-